संख्या–1624 / 62–1–2004–7 डब्लू0पी0 / 2004 टी0सी0

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

सेवा में,

1. **समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,**
उत्तर प्रदेश शासन।
2. **समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।
4. **समस्त विभागाध्यक्ष**
उत्तर प्रदेश।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनु0–1 लखनऊः दिनांक 8 सितम्बर, 2004

विषयः प्रदेश में भूजल संचयन एवं रिचार्जिंग की विभिन्न योजनाओं के समन्वय, भूजल अनुसंधान, अन्वेषण, प्रबन्धन एवं नियोजन हेतु शासन स्तर पर लघु सिंचाई विभाग को "नोडल विभाग" तथा लघु सिंचाई विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन "भूगर्भ जल निदेशालय" को "नोडल एजेन्सी" घोषित किया जाना।

महोदय,

प्रदेश में सिंचाई, पेयजल एवं औद्योगिक सेक्टर में गत दशकों में मॉग में अप्रत्याशित वृद्धि होने से भूगर्भ जल का अत्याधिक दोहन किये जाने के परिणामस्वरूप नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर भूजल स्तर में चिन्ताजनक गिरावट तथा अतिदोहन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विभिन्न विकास योजनाओं में भूगर्भीय जल की निरंतर बढ़ती मॉग एवं आगामी दशकों में इस स्रोत के समक्ष उत्पन्न होने वाली सम्भावित चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए भूगर्भ जल स्रोतों के एकीकृत अनुसंधान, प्रभावी नियोजन, अन्वेषण एवं प्रबन्धन की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

वर्तमान में भूगर्भ जल दोहन, नियोजन, प्रबन्धन आदि के लिए प्रदेश में कोई नोडल विभाग / नोडल एजेन्सी घोषित नहीं है, जिसके फलस्वरूप जहां विभिन्न उपभोक्ता विभागों एवं संस्थाओं (यथा लघु सिंचाई, सिंचाई, ट्यूबेल एण्ड प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, जल निगम, नगर निकाय, आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, राजकीय एवं निजी उद्योग, आदि) के साथ उचित सामंजस्य तथा ऑकड़ों एवं सूचनाओं का समुचित आदान प्रदान न होने से प्रदेश स्तर पर भूजल परिस्थितिकीय तंत्र का वास्तविक वैज्ञानिक आंकलन, नियोजन एवं प्रबन्धन संभव नहीं हो पा रहा है, वहीं प्रबन्धन हेतु लिये गये निर्णयों के अनुपालन के बारे में भी समुचित समन्वय न होने से भूजल सम्पदा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है तथा विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों का समेकित रूपसे सही आंकलन भी नहीं हो पा रहा है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में भूगर्भ जल सम्पदा के दीर्घकालिक प्रबन्धन एवं नियोजन तथा भूगर्भ जल दोहन के नियंत्रण एवं भूगर्भ जल संरक्षण, संचयन व विभिन्न

विभागों द्वारा रिचार्ज हेतु चलाई जा रही योजनाओं के प्रभावी समन्वय तथा अनुश्रवण हेतु सम्यक् विचार शासन स्तर पर लघु सिंचाई विभाग को **"नोडल विभाग"** तथा लघु सिंचाई विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण **"भूगर्भ जल निदेशालय"** को **"नोडल एजेन्सी"** घोषित किया जाता है।

भवदीय,

(वी0के मित्तल)
मुख्य सचिव

संख्या–1624 / 62–1–2004 / तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा0 लघु सिंचाई मंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम।
3. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग विभाग।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
5. मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम।
6. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
7. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0।
8. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0।
9. निदेशक, कृषि विभाग, लखनऊ।
10. महाप्रन्धक, जल संस्थान, उ0प्र0।
11. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, उ0प्र0।
12. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
13. निदेशक, स्वजल, उ0प्र0।
14. प्रबन्ध निदेशक, भूमि सुधार निगम, उ0प्र0।
15. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 ट्यूबेल खण्ड प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0।
16. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ।
17. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0।
18. महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ।
19. निदेशक, वाल्मी, लखनऊ।
20. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
21. निदेशक, रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उ0प्र0।
22. महानिदेशक, उ0प्र0 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, लखनऊ।
23. प्रबन्ध निदेशक, राज्य सहकारी भूमि एवं ग्रामीण विकास बैंक, लखनऊ।
24. नगर आयुक्त / मुख्य नगर अधिकारी, समस्त नगर निगम / महापालिकाएं, उ0प्र0।
25. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम, लखनऊ।
26. प्रबध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
27. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम।

आज्ञा से,

(अजय कुमार जोशी)
प्रमुख सचिव।